

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ

विज्ञापन संख्या- 23-परीक्षा/2016

सम्मिलित तकनीकी-सेवा (सामान्य चयन) परीक्षा 2016

ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होने की तिथि -07.11.2016

ऑनलाइन शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि - 09.11.2016

परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि -24.11.2016

ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि - 26.11.2016

आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि -28.11.2016

आयोग के विज्ञापन संख्या- 23 /परीक्षा/2016 के अंतर्गत 09 विभागों में रिक्त 292 विभिन्न प्रकृति के 21 पदों, जिनका श्रेणीवार विवरण नीचे सारणी-1 में दिया गया है, के सापेक्ष चयन हेतु, भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन सबमिट (SUBMIT) करना है।

विशेष सूचना

परीक्षा शुल्क का भुगतान रजिस्ट्रेशन होने के अगले कार्य दिवस को या उसके बाद किया जा सकता है। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा करने एवं आवेदन सबमिट करने की दशा में ही उसका आवेदन पूर्ण होगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा, उसे निरस्त माना जाएगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में किसी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन सबमिट (SUBMIT) करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। कृपया एक रजिस्ट्रेशन नंबर पर एक बार से अधिक फीस का भुगतान न करें।

2- ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई प्रमाण पत्र / अंक तालिका आदि प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है।

ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना -

इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति (online application system) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें।

“ऑनलाइन आवेदन” करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्देशों को भली-भांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।

आयोग की वेबसाइट <http://upsssc.gov.in> पर “ऑल नोटिफिकेशन / एडवर्टिजमेंट डिटेल्स” (all notification / advertisement details) अभ्यर्थी द्वारा क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवर्टिजमेंट स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं :-

- 1- यूजर इन्स्ट्रक्शन (user instruction)
- 2- व्यू एडवर्टिजमेंट (view advertisement)
- 3- अप्लाई (apply)

यूजर इन्स्ट्रक्शन (User Instruction)- में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा-निर्देश दिये गए हैं। इसके बाद अभ्यर्थी व्यू एडवर्टिजमेंट (view advertisement) को क्लिक करें। ऐसा करने पर पूरा विज्ञापन प्रदर्शित होगा। आवेदन हेतु अप्लाई (apply) पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जाएगा :-

प्रथम स्तर – अप्लाई क्लिक करने पर परिशिष्ट -1 में परीक्षा के सापेक्ष कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन (candidate registration) क्लिक करने पर अभ्यर्थी का बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म (परिशिष्ट -2) प्रदर्शित होगा।

फॉर्म भरने के पश्चात सबमिट (Submit) बटन पर क्लिक करने से प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जाएगा। तत्पश्चात (कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एक्नोलेजमेंट) (परिशिष्ट -3) प्रदर्शित होगा, जिसे प्रिंट पर क्लिक करके मुद्रित किया जा सकेगा। मुद्रित करने के बाद अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग (Gender), शैक्षिक योग्यता/अर्हता, प्राप्तांक एवं पूर्णांक को अवश्य जांच लें। यदि उसमें कोई गलती हो तो तत्काल पुनः रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टियाँ अंतिम होंगी और एक बार SUBMIT होने के बाद इनमें किसी प्रकार संशोधन सम्भव नहीं है अतः इस विषय में की गयी कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी।

द्वितीय स्तर – परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु वेबसाइट पर दिये गए लिंक को क्लिक करें, शर्तों को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। इसके बाद स्टेट बैंक कलेक्ट पर जाकर ई-चालान या ऑनलाइन माध्यमों (इंटरनेट बैंकिंग / काडर्स) से परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है। कैटेगरी का चयन करें, रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्मतिथि (dd/mm/yyyy के रूप में) भरें एवं सबमिट करें। स्क्रीन पर भरी हुई सभी प्रविष्टियाँ सत्यापित करें एवं सत्यापित प्रविष्टियाँ भरें एवं सबमिट करें। इन्हें पुनः सत्यापित कर कन्फर्म करें। अब पेमेंट ऑप्शन्स स्क्रीन पर दिखाई देंगे। इनमें से भुगतान का माध्यम चयन करें। SBI इंटरनेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / अदर बैंक इंटरनेट बैंकिंग, अथवा SBI की किसी शाखा में नकद भुगतान के लिए ई-चालान के लिए SBI ब्रांच का चयन करें। ई-चालान भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा पर जमा किया जा सकता है। यदि ऑनलाइन भुगतान का चयन किया गया है तो स्क्रीन पर दिये गए निर्देशों के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया सम्पन्न होगी। ई-चालान के साथ भारतीय स्टेट बैंक की, जिले की, किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित धनराशि (ई-चालान में मुद्रित होगी) जमा करके भुगतान की प्रक्रिया सम्पन्न करने के पश्चात विभाग की वेबसाइट पर प्रिंट ई-रिसीप्ट के आशान का चयन करते हुए ई-रिसीप्ट का प्रिंट आउट प्राप्त कर लें। ई-चालान की एक प्रति बैंक से प्राप्त कर लें तथा इसे अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। बैंक द्वारा अभ्यर्थी को वापस की गयी ई-चालान की प्रति में बैंक द्वारा ट्रांजेक्शन आई. डी / जर्नल नंबर (डीयू.....) छपी हुई होगी जिसका उपयोग तृतीय स्तर पर आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी को करना होगा। ऑनलाइन शुल्क जमा करते समय स्क्रीन पर (डीयू.....) ट्रांजेक्शन नंबर दिखाया जाएगा जिससे ई-रिसीप्ट का प्रिंट भी लिया जा सकता है।

तृतीय स्तर – बैंक में शुल्क जमा करने के दिनांक के बाद दो दिन छोड़कर अग्रेतर कार्य दिवस में (अपरान्ह 2 बजे के पश्चात) अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित सबमिट एप्लिकेशन फार्म बटन को क्लिक करने पर प्रदर्शित फार्मेट में ऑनलाइन सूचनाएँ भरनी होगी तथा फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसका नमूना परिशिष्ट -6 पर है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है की वे अपने हाल के नवीनतम, आवक्ष तक के रंगीन फोटोग्राफ सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ तथा नमूना हस्ताक्षर की स्कैनिंग करके प्रविष्ट (upload) करेंगे। फोटोग्राफ (*.jpe, *.jpeg, *.jpg) के प्रारूप पर होगा जिसका आकार 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी काली स्याही से हस्ताक्षर करके उसको स्कैन करेंगे। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन

करके अपलोड नहीं किया जाता तो ऑनलाइन आवेदन, सिस्टम पर स्वीकार नहीं होगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया (परिशिष्ट-7) में दी गई है। अभ्यर्थी फोटो अपलोड करने के उपरांत वेरिफिकेशन कोड डालकर जब सबमिट करेगा तो आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद "व्यू एप्लीकेशन फार्म" को क्लिक करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनाएँ सही-सही भरी गयी है और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ऑनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु "सबमिट" बटन को क्लिक करे, अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनाएँ सही- सही निर्देशानुसार ऑनलाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक सबमिट बटन को क्लिक करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा सबमिट बटन को क्लिक नहीं किया जाएगा तो आवेदन सबमिट नहीं होगा। इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। "सबमिट" बटन को क्लिक करने के पश्चात आवेदन का प्रिंटआउट परिशिष्ट-7ए लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन करते समय पूरी सावधानी बरतें। चूंकि किसी विसंगति के लिए आयोग जिम्मेदार न होगा।

नोट- अभ्यर्थी कृपया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्तर का अनुपालन सुनिश्चित कर लें। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के बाद तृतीय स्तर में दी गयी प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है और उसके अंतर्गत अंतिम रूप से अपना आवेदन सबमिट नहीं करता है तो आवेदन की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। अभ्यर्थी के अंतिम रूप से आवेदन सबमिट न करने की दशा में उनका आवेदन अपूर्ण रह जाएगा और उसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

3. एक बार आवेदन "सबमिट" करने के पश्चात उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

4. **आवेदन शुल्क** – ऑनलाइन आवेदन के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का प्रारूप भरने के बाद उपरिवर्णित विधि से परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। स्टेट बैंक ई- कलेक्ट के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से जमा शुल्क स्वीकार नहीं होगा। आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	(आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क) योग
(1)	अनारक्षित (सामान्य)	160.00	25.00	185.00
(2)	अन्य पिछड़ा वर्ग	160.00	25.00	185.00
(3)	अनुसूचित जाति	70.00	25.00	95.00
(4)	अनुसूचित जनजाति	70.00	25.00	95.00
(5)	विकलांगजन	---	25.00	25.00

नोट- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों, एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक-1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।

5. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त चयनों / परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

6. सबमिट किये गए आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित अंतिम तिथि तक वे दूसरा आवेदन (सेकंड रजिस्ट्रेशन) संशोधित सूचना के साथ, पुनः आवेदन शुल्क जमा करके ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए एक से अधिक आवेदन "सबमिट" करने की दशा में अंतिम आवेदन ही स्वीकार होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे।

7. विभिन्न विभागों में विभिन्न प्रकार के रिक्त 292 पदों का श्रेणीवार विवरण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर निम्नवत है:-

सारणी-1

पद क्रम सं०	विभाग का नाम	पद नाम	वेतन बैंड/ वेतनमान/ ग्रेड पे	पदों की संख्या						पदों की प्रकृति
				01 जुलाई, 2016 को आयु (न्यूनतम-अधिकतम) वर्षों में।	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल पद	
1(i)	उप० महानिरीक्षक कारागार (मु०) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	अनुदेशक, चमड़ा कार्य	रु०9300/- 34800/- ग्रेड पे- 4200/-	18-40	01	00	00	00	01	स्थायी
(ii)		एक्स-रे तकनीशियन	रु०9300/- 34800/- ग्रेड पे- 4200/-	18-40	02	00	00	00	02	स्थायी
(iii)		राज अनुदेशक या अनुदेशक सिविल कार्य	रु०9300/- 34800/- ग्रेड पे- 4200/-	18-40	06	02	00	03	11	स्थायी
(iv)		अनुदेशक पावरलूम मशीन अनुरक्षण	रु०9300/- 34800/- ग्रेड पे- 4200/-	18-40	02	00	00	00	02	स्थायी
(v)		अनुदेशक ड्राइंग एवं प्रिंटिंग	रु०9300/- 34800/- ग्रेड पे- 4200/-	18-40	02	00	00	00	02	स्थायी
(vi)		अनुदेशक बुनाई	रु०9300/- 34800/- ग्रेड पे- 4200/-	18-40	02	00	00	02	04	स्थायी
(vii)		अनुदेशक साबुन फ़िताइल	रु०9300/- 34800/- ग्रेड पे- 4200/-	18-40	01	00	00	00	01	स्थायी
(viii)		फ़ार्मोसिस्ट (कम्पाउण्डर)	रु०5200/- 20200/- ग्रेड पे- 2800/-	18-40	29	10	00	16	55	स्थायी

2(i)	निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर	प्रयोगशाला सहायक (जीव रसायन)	रु०5200/- 20200/- ग्रेड पे- 2400/-	21-40	02	00	00	00	02	
(ii)	प्रदेश, लखनऊ।	प्रयोगशाला सहायक (शरीर क्रिया विज्ञान)	रु०5200/- 20200/- ग्रेड पे- 2400/-	21-40	02	00	00	00	02	
(iii)		प्रयोगशाला सहायक (रसायन)	रु०5200/- 20200/- ग्रेड पे- 2400/-	21-40	01	00	00	00	01	
(iv)		प्रयोगशाला सहायक (खाद्य प्रौद्योगिकी)।	रु०5200/- 20200/- ग्रेड पे- 2400/-	21-40	02	00	00	00	02	
(v)		प्रयोगशाला सहायक (सूक्ष्मजीव विज्ञान)	रु०5200/- 20200/- ग्रेड पे- 2400/-	21-40	01	00	00	00	01	
3(i)	निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।	फार्मासिस्ट	रु०5200/- 20200/- ग्रेड पे- 2000/-	18-40	08	02	00	03	13	
(ii)		क्राफ्ट प्रशिक्षक	रु०5200/- 20200/- ग्रेड पे- 2000/-	18-40	23	08	00	12	43	स्थायी
4	निदेशक, विकलांग जन विकास विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।	नर्स/ कमपाउंडर/ हा० वाईन	रु०5200/- 20200/- ग्रेड पे- 2800/-	18-40	05	01	00	01	07	अस्थायी
5	आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	ट्रेसर (अनुरेखक)	रु०5200/- 20200/- ग्रेड पे- 1900/-	21-40	01	00	00	00	01	स्थायी
6	डिप्टी कमांडेंट जनरल, होमगार्ड्स लखनऊ।	हवलदार इंस्ट्रक्टर	रु०5200/- 20200/- ग्रेड पे- 2000/-	18-40	21	02	01	00	24	अस्थायी

7	महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ। निदेशक, हृदय रोग संस्थान कानपुर।	फिजियोथेरेपिस्ट	रु०9300/- 34800/- ग्रेड पे- 4200/-	21-40	01	00	00	00	01	स्थायी
8	निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।	सिनेमा आपरेटर कम प्रचार सहायक	रु०5200/- 20200/- ग्रेड पे- 1900/-	18-40	12	03	01	02	18	अस्थायी
9	विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश।	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	रु०5200/- 20200/- ग्रेड पे- 1900/-	18-40	52	20	01	26	99	अस्थायी
					176	48	03	65	292	

नोट- उपर्युक्त विभागों में रिक्त सभी पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है।

विभागवार क्षैतिज आरक्षण

उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित पदों में क्षैतिज आरक्षण के संबंध में विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत है:-

सारणी-2

विभाग का नाम	पदनाम	क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी	पदों की संख्या
उप० महानिरीक्षक कारागार (०मु) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	राज अनुदेशक या अनुदेशक सिविल कार्य	(i)- महिला	02
	फार्मैसिस्ट (कम्पाउण्डर)	(i)- स्व० संग्राम सेनानी (ii)- विकलांगजन (iii)- भूतपूर्व सैनिक (iv)- महिला	01 01 02 11
निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।	फार्मसिस्ट	(i)- महिला	02
	क्राफ्ट प्रशिक्षक	(i)- विकलांगजन (ii)- भूतपूर्व सैनिक (iii)- महिला	01 02 08
निदेशक, विकलांग जन विकास विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।	नर्स/ कमपाउंडर/ हा० वाइन	(i)- महिला	01
डिप्टी कमांडेंट जनरल, होमगार्ड्स लखनऊ।	हवलदार इंस्ट्रक्टर	(i)- भूतपूर्व सैनिक (ii)- महिला	01 04
निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।	सिनेमा आपरेटर कम प्रचार सहायक	(i)- महिला	03
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश।	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	(i)- स्व० संग्राम सेनानी (ii)- विकलांगजन (चलन क्रिया सम्बन्धी) (iii)- भूतपूर्व सैनिक (iv)- महिला	01 02 04 19

टिप्पणी

- (1)- उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी, जो 01 जुलाई, 2016 को पद के सम्मुख अंकित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं और पद हेतु विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, जिसका उल्लेख आगे सारणी-3 में किया जा रहा है, धारित करते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- (2)- विकलांगजनों (केवल चिन्हित पदों पर), महिलाओं, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक शासनादेशों में विहित नियमानुसार शैतिज आरक्षण देय होगा।
- (3)- उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबंधी नवीनतम अधिनियमों शासनादेशों में निर्धारित/ अध्यादेशों/नीति निर्देशों के अनुरूप आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
- (4)- उपर्युक्त सारणी-1 व 2 में श्रेणीवार पदों की संख्या संबन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए आरक्षित श्रेणीवार रिक्त पदों की सूचना पर आधारित है।
- (5)- रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।

8- अनिवार्य अर्हता-:(शैक्षिक) उपर्युक्त सारणी- 1 में उल्लिखित समस्त पदों पर चयन हेतु विहित अनिवार्य अर्हता(शैक्षिक)एवं अधिमानी अर्हता,जो नीचे सारिणी -3 में पदनाम के सम्मुख अंकित है। आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त हो जानी चाहिए।

सारणी -3

पद क्रम संख्या	पद नाम	अनिवार्य अर्हता/ अधिमानी अर्हता
1(i)	अनुदेशक, चमड़ा कार्य	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद ,उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो । (2)किसी सरकारी संस्था या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से चमड़ा प्रौद्योगिकी व्यवसाय में तीन वर्ष का डिप्लोमा होना आवश्यक है ।
(ii)	एक्स-रे तकनीशियन	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विषय के साथ या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय का एक्स-रे-टेक्नोलॉजी में विहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का डिप्लोमा भी होना चाहिए, (3) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का अच्छा कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए।
(iii)	राज अनुदेशक या अनुदेशक सिविल कार्य	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद ,उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए । (2) किसी सरकारी संस्था या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल अभियंत्रण में तीन वर्ष का डिप्लोमा होना आवश्यक है।
(iv)	अनुदेशक पावरलूम मशीन अनुरक्षण	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो । (2) किसी सरकारी संस्था या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से यांत्रिक अनुरक्षण व्यवसाय में तीन वर्ष का डिप्लोमा होना आवश्यक है ।
(v)	अनुदेशक ड्राइंग एवं प्रिंटिंग	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद ,उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो । (2) किसी सरकारी संस्था या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से टेक्सटाइल कैमिस्ट्री में तीन वर्ष का डिप्लोमा होना आवश्यक है ।

(vi)	अनुदेशक बुनाई	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो। (2) किसी सरकारी संस्था या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में तीन वर्ष का डिप्लोमा होना आवश्यक है।
(vii)	अनुदेशक साबुन फिनाइल	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। (2) किसी सरकारी संस्था या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कैमिकल इंजीनियरिंग व्यवसाय में तीन वर्ष का डिप्लोमा होना आवश्यक है।
(viii)	फार्मैसिस्ट (कम्पाउण्डर)	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा विज्ञान और जीव विज्ञान विषय के साथ या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय का औषध निर्माण शास्त्र में निहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का डिप्लोमा (दो वर्ष तीन माह) होना चाहिए। (3) राजकीय औषध निर्माण परिषद में भेषजिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए और (4) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का अच्छा कार्य साथक ज्ञान होना चाहिए।
2(i)	प्रयोगशाला सहायक (जीव रसायन)	(1) एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान सहित बी० एस० सी० या बी० एस० सी० (कृषि) के साथ फल और सब्जी के शोध कार्य से संबद्ध कम से कम दो वर्ष अनुभव। अधिमानी-फल और सब्जी में शोध कार्य के अनुभव सहित रसायन विज्ञान / कृषि रसायन में उच्चतर शैक्षिक अर्हता।
(ii)	प्रयोगशाला सहायक (शरीर क्रिया विज्ञान)	(1) वनस्पति विज्ञान सहित बी० एस० सी० या बी० एस० सी० (कृषि) और फल और सब्जी प्राविधिकी से संबद्ध कम से कम दो वर्ष का शोध अनुभव। अधिमानी-अपने क्षेत्र में उच्चतर शैक्षिक अर्हता।
(iii)	प्रयोगशाला सहायक (रसायन)	(1) एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान सहित बी० एस० सी० या बी० एस० सी० (कृषि) के साथ फल और सब्जी शोध कार्य से संबद्ध कम से कम दो वर्ष का अनुभव। अधिमानी-फल और सब्जी में शोध कार्य के अनुभव सहित रसायन विज्ञान / कृषि रसायन में उच्चतर शैक्षिक अर्हता।
(iv)	प्रयोगशाला सहायक (खाद्य प्रौद्योगिकी)	(1) फल और सब्जी प्राविधिकी में दो वर्ष के सह सदस्यता पाठ्यक्रम के साथ बी० एस० सी० या बी० एस० सी० (कृषि) और फल और सब्जी प्राविधिकी से संबद्ध कम से कम दो वर्ष का शोध अनुभव या खाद्य प्राविधिकी में एम० एस० सी०। अधिमानी - संबद्ध विषयों में उच्चतर शैक्षिक अर्हता।
(v)	प्रयोगशाला सहायक (सूक्ष्मजीव विज्ञान)	(1) वनस्पति विज्ञान सहित बी० एस० सी० या बी० एस० सी० (कृषि) और फल और सब्जी प्राविधिकी से संबद्ध कम से कम दो वर्ष का शोध अनुभव। अधिमानी- अपने क्षेत्र में उच्चतर शैक्षिक अर्हता।
3(i)	फार्मैसिस्ट	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मैसी में डिप्लोमा और स्टेट फार्मैसी से कौंसिल उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रीकृत होना भी आवश्यक है। अधिमानी :- किसी चिकित्सालय या नर्सिंग होम में फार्मैसिस्ट के रूप में कार्य करने का 02 (दो) वर्ष का अनुभव।
(ii)	क्वाफ्ट प्रशिक्षक	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद उ० प्र० की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। (2) किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबन्धित व्यवसाय में प्रमाणपत्र।
4	नर्स / कम्पाउंडर / हा० वार्डन	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) नर्स के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था अथवा इसके समकक्ष किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से जनरल नर्स एण्ड मिडवाइफरी डिप्लोमा। (3) कम्पाउंडर के लिए किसी राजकीय संस्था या सरकार द्वारा संचालित संस्था से फार्मैसी में डिप्लोमा। (4) उत्तर प्रदेश नर्स मिडवाइफरी काउंसिल / उत्तर प्रदेश स्टेट फार्मैसी काउंसिल में नर्स / कम्पाउंडर के रूप में पंजीकरण होना चाहिए। अधिमानी :- किसी संस्था / चिकित्सालय में नर्स / कम्पाउंडर के रूप में कार्य करने का 03 (तीन) वर्ष का अनुभव।
5	ट्रेसर (अनुरेखक)	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद से कम से कम हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा रेखांकन (ड्राइंग) विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।
6	हवलदार इंस्ट्रक्टर	(1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इण्टरमीडिएट (2) अद्वैतनिक विभागीय सदस्यों / कर्मचारियों के लिए हाईस्कूल।

7	फिजियोथेरेपिस्ट	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। (2) सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फिजियोथेरेपी में कोई उपाधि या डिप्लोमा होना आवश्यक है।
8	सिनेमा ऑपरेटर कम प्रचार सहायक	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। (2) उसके पास 16/35 एम०एम० मशीन प्रचालन के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत लाइसेंस अवश्य होना चाहिये। (3) हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
9	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	विज्ञान के साथ हाई स्कूल।

9- अधिमानी अर्हता:-

उपर्युक्त पदों के लिए अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने,

- 1- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या
- 2- राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
- 3- होमगार्ड संगठन में निरन्तर 03 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य किया हो (केवल डिप्टीकांमांडेंट जनरल होमगार्डस लखनऊ के अधीनस्थ रिक्त हवलदार इंस्ट्रक्टर-पद क्रम -06 के पदों हेतु लागू)

10- आयु सीमा :- आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई 2016 है और उक्त तिथि को अभ्यर्थी की आयु उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित पद के सम्मुख अंकित आयुसीमा के अंतर्गत हो। जिन पदों हेतु आयुसीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित है, उक्त पदों के लिए अभ्यर्थी ने 01 जुलाई 2016 (01-07-2016) को 18 वर्ष की आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो अर्थात् उसका जन्म 02 जुलाई 1976 से पूर्व तथा 01 जुलाई 1998 के बाद न हुआ हो। तथा जिन पदों हेतु आयुसीमा 21 से 40 वर्ष निर्धारित है, उक्त पदों के लिए अभ्यर्थी ने 01 जुलाई 2016 (01-07-2016) को 21 वर्ष की आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो अर्थात् उसका जन्म 02 जुलाई 1976 से पूर्व तथा 01 जुलाई 1995 के बाद न हुआ हो।

(1)-होमगार्ड विभाग के अंतर्गत हवलदार इंस्ट्रक्टर (पद क्रम -06) के लिए आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने होमगार्ड संगठन में दिनांक 01.01.2015 को 03 वर्ष या उससे अधिक समय की सेवा पूर्ण कर ली हो। ऐसे आवैतनिक सदस्यों को अधिकतम आयु सीमा में 02 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(2)- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो। शासनादेश दिनांक 28.11.1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट 01 जुलाई 2016 को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटा कर, परिणामस्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो। आवेदन की अंतिम तिथि तक सेना से मुक्त होना अनिवार्य है।

(3)- समाज के विकलांगजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यतन, नवीनतम विद्यमान शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

11(1)- आरक्षण- उ० प्र० की अनुसूचित जातियों / उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र० के अन्य पिछड़े वर्गों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। इसी प्रकार क्षेत्रीय आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा - उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/विकलांगजनों(केवल चिन्हित पदों के सापेक्ष कोटा बनने पर)/ भूतपूर्व सैनिक, उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

(2)- उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स संगठन के होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों को जिनकी सेवायें 03 वर्ष की पूर्ण हो चुकी हों को 25 प्रतिशत (06 पद) का क्षेत्रीय आरक्षण अनुमन्य है, जो उसी वर्ग के अंतर्गत देय होगा।

नोट- आरक्षण / आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट -8 में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा आवेदन की तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब वे आयोग को प्रस्तुत करें।

12(1)-चयन का आधार- लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार है। प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 अधिसूचना दिनांक 11 मई, 2015 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत सीधी भर्ती की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा / साक्षात्कार के अंक बही होंगे, जो राज्य सरकार के अनुमोदन से आयोग द्वारा निर्धारित किए जायेंगे। तदनुसार लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा।

(2)- हवलदार इंस्ट्रक्टर (पदक्रम संख्या-6), के पदों पर चयन हेतु बिन्दु-12 (1) में उल्लिखित चयन प्रक्रिया के साथ-साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा भी सम्मिलित है, अभ्यर्थियों की अर्हता के अंतर्गत शारीरिक माप भी निम्नानुसार है :-

अभ्यर्थी	ऊंचाई	सीना बिना फुलाये	सीना फुलाये जाने पर
पुरुष अन्य	167.7 से०मी०	78.8 से०मी०	83.8 से०मी०
पुरुष पर्वतीय	162.60 से०मी०	76.5 से०मी०	81.5 से०मी०
पुरुष अनुसूचित जनजाति	160.0 से०मी०	76.5 से०मी०	78.8 से०मी०
महिला अन्य	152.0 से०मी०	--	--
महिला पर्वतीय एवं अनुसूचित जनजाति	147.0 से०मी०	--	--

13-वरीयता - अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय विभाग व पद की वरीयता देनी होगी। आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता क्रम में जैसा कि अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और पद की उपलब्धता, शैक्षिक अर्हता, श्रेष्ठता एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिये गए वरीयता के विकल्प के अनुसार संस्तुति करने का प्रयास करेगा किन्तु इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

14- अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश-

(1) उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

(2) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जाएगी।

- (3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- (4) वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा एतदर्थ किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा।
- (5) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।
- (6) उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।
- (7) ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ प्रस्तुत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथासंशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के साथ संलग्न प्रारूप पर तथा यह कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के अधिवासी है या फिर वह तथा अभ्यर्थी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का (1) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) अथवा (2) पौत्र अर्थात् (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) या पौत्री अर्थात् (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) विवाहित या अविवाहित हैं।
- (8) ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र, कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 03 फरवरी 2008 में निर्धारित प्रारूप पर तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।
- (9) जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं, वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें जिसे मांगे जाने पर आयोग को प्रस्तुत करना होगा, प्रारम्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, परंतु इस आधार पर विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों को कालबाधित माना जाएगा।
- (10) राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ० प्र० शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2-ई.एम./2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयुसीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
- (11) ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे। बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।

(12) अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(13) एक से अधिक श्रेणी / आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी, दी जाएगी।

(14) चयनित महिलाओं, उ०प्र०स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांगजन को (केवल चिन्हित पदों के सापेक्ष कोटा बनने पर) आरक्षण अधिनियम 1993 तथा संशोधित में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे संबन्धित हैं।

(15) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, महिला अभ्यर्थियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांगजन, को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थिनियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

(16) आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को उपर्युक्त बिन्दु-7 की सारणी-1 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष बिन्दु-8 में विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। अतः अभ्यर्थी आवेदन करते समय यह भली भाँति सुनिश्चित कर ले कि जिस पद के लिए वे आवेदन कर रहे हैं उसके लिए विज्ञापन में दी गयी योग्यता धारित करते हैं, तभी आवेदन करें। पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता पद की संगत सेवानियमावली में विहित शैक्षिक योग्यता के अनुरूप है। अतः पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता से इतर योग्यताधारी अभ्यर्थी यदि आवेदन करते हैं तो वे इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

15- अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश -

(1) किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है।

(2) ऑनलाइन आवेदन "सबमिट" हो जाने के पश्चात आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, जेंडर (लिंग) आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनाएँ सही-सही भरें। गलत जेंडर (लिंग) भरने अथवा जेंडर (लिंग) के अनुरूप फोटो चस्पा न करने की दशा में आवेदकों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः गलत जेंडर (लिंग) न भरें और न ही गलत फोटो चस्पा करें। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदक द्वारा भरी गयी सूचनाएँ अंतिम हैं, इसमें आयोग द्वारा संशोधन किया जाना संभव नहीं है।

(3) हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(4) आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा।

(5) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के संबंध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

(6) जो अभ्यर्थी कालांतर में अर्ह नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

- (7) आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर आवेदन "सबमिट" नहीं होगा।
- (8) निर्धारित साइज की फोटो अपलोड न करने तथा निर्धारित स्थान पर स्पष्ट हस्ताक्षर न करने अथवा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न करने पर अभ्यर्थियों का आवेदन तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- (9) आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुति भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- (10) कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित किया जा सकता है।
- (11) नियुक्त हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।
- (12) ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन "सबमिट" करने की अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। उनका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं होगा।
- (13) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाए कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।
- (14) किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों के गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन / चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित करने का अधिकार आयोग का होगा।
- (15) यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा अथवा वेबसाइट पर कांटेक्ट-अस से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।
- (16) ऑनलाइन आवेदन शुल्क / परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 26.11.2016 तथा आवेदन स्वीकार "सबमिट" किए जाने की अंतिम तिथि 28.11.2016 है।

05/11/16
सचिव

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

Detailed Application Form:

At the top of the page there is a declaration for the candidates are advised to go through the content of the declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the content of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree the application will be dropped and procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's On-Line Application.

Notification Details:

This section shows information relevant to Notification.

Personal Details

This section show information about candidate personal details i.e. Registration Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital Status, email ID and contact number.

Other Details of candidate

Other Details of candidate shows the information about UP Freedom Fighter, Ex-Army service duration and physical deformity.

Education & experience Details

It shows education and experience details of the candidate.

Candidate address, photo & signature details

It shows communication address and photo with signature of the candidate.

Declaration segment

At the bottom of the page there is a "Declaration" for the candidates. Candidates are advised to go through the content of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview candidates detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/Particulars that the candidates have mentioned on entry time. If they are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that they can print.

Otherwise using "Back" button the details can be modified.

(CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "PRINT" OPTION AVAILABLE)

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home page' of commission's website <http://upsssc.gov.in> CANDIDATE SEGMENT.

CANDIDATE SEGMENT
ALL Notification/Advertisements
Candidate Registration (First Stage)
Candidate E-Challan/I-Collect (Second Stage)
Submit Application Form (Third Stage)
View Application Status
List of Applications Having Photo related Objections
Download form for Eligibility Checking
Download Interview Letter
Duplicate Registration Slip & Application form
Download syllabus

1) **LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATION:** On-line - Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिशिष्ट-8

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ सुपुत्र/सुपुत्री श्री _____
 निवासी ग्राम _____ तहसील _____ जिला _____
 उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) अधिनियम, 1950 (जिस कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) अधिनियम, 1967 को अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी _____ तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के _____ जिला _____
 ग्राम _____ तहसील _____ नगर _____ में सामान्यता रहता है।

स्थान _____ हस्ताक्षर _____
 दिनांक _____ पुरा नाम _____
 मुहर _____ पद का नाम _____

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/
 अन्य केंद्रन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ सुपुत्र/सुपुत्री श्री _____
 निवासी ग्राम _____ तहसील _____ नगर _____ जिला _____
 उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (पथासंशोधित) की अनुगामी एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पूर्णका अधिनियम, 1994 (पथासंशोधित) की अनुसूची-2 (जिस कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आवृत्त नहीं है। इनके गता-पिता भी उत्तर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास प्रचलित अधिनियम, 1957 में यथा विहित धृत सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी _____ तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम _____
 तहसील _____ नगर _____ जिला _____ में सामान्यता रहता है।

स्थान _____ हस्ताक्षर _____
 दिनांक _____ पुरा नाम _____
 मुहर _____ पद का नाम _____

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

उ0प्र0 के विकलांगों के लिये प्रमाण-पत्र

CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No.

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt./Kum.

Son/Wife/Daughter of Shri age

Sex identification mark (S) is suffering from permanent disability of following category.

- A. Locomotor of cerebral palsy:**
- (i) BL-Both legs affected but not arms.
 - (ii) BA-Both arms affected
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (iii) BLA-Both legs and both arms affected
 - (iv) OL-One leg affected (right or left)
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (c) Ataxic
 - (v) OA-One arm affected
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (c) Ataxic
 - (vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)
 - (vii) MW-Muscular weakness and limited physical endurance

B. Blindness or Low Vision:

- (i) B-Blind
- (ii) PB-Partially Blind

C. Hearing Impairment:

- (i) D-Deaf
- (ii) PD-Partially Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve /not likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended/is recommended after a period of year months.

3. Percentage of disability in his/her case is percent.

4. Sh./Smt./Kum. meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

- | | |
|--|--------|
| (i) F-can perform work by manipulating with fingers. | Yes/No |
| (ii) PP-can perform work by pulling and pushing | Yes/No |
| (iii) L-can perform work by lifting | Yes/No |
| (iv) KC-can perform work by kneeling and crouching. | Yes/No |
| (v) B-can perform work by bending. | Yes/No |
| (vi) S-can perform work by sitting. | Yes/No |
| (vii) ST-can perform work by standing. | Yes/No |
| (viii) W-can perform work by walking | Yes/No |
| (ix) SE-can perform work by seeing. | Yes/No |
| (x) H-can perform work by hearing/speaking. | Yes/No |

(xi) RW-can perform work by reading and writing Yes/No

(Dr.....)

(Dr.....)

Member

Member

Medical Board

Medical Board

(Dr.....)

Chairperson

Medical Board

Countersigned by the

Medical Superintendent/

CMO/HQ

Hospital (with seal)

Strike out which is not applicable.

उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अधिकारों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ निवासी _____ ग्राम
तहसील _____ जिला _____
संघ सेवा (नारीय रूप से विकसित) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अधिकार और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम
सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी (आधिकार) पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री विधिवत/अविधिवत उपरोक्त अधिनियम 1993 के ही
प्रवधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के अधिकार हैं।
हस्ताक्षर _____ पूरा नाम _____
स्थान _____ मुहर _____
दिनांक _____ जिलाधिकारी _____
सील _____

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ0प्र0 के मूल निवासी हैं

राजपद संख्या-22/21/1885-कार्यक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4

प्रारूप - 1

(मान्यता प्राप्त प्रोड्यूसर/खेत में अपने देश की ओर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम _____ राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर
नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ आरक्षण/पत्नी/आपका श्री _____ निवासी _____
पुरा पता _____ ने दिनांक _____ से दिनांक _____ तक _____ स्थान का नाम) में
आयोजित _____ (श्रीमती/खेत-बूढ़ या नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में देश की ओर से भाग लिया।
उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में _____ स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) _____ में उपलब्ध रिकार्ड के
आधार पर दिया गया है।

स्थान _____
दिनांक _____

हस्ताक्षर _____
नाम _____
पद _____
संस्था का नाम _____

मुहर _____

नोट: यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप-2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक से दिनांक तक में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (द्वैतमैत्रि स्थान का नाम) आयोजित राष्ट्रीय में उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/द्वैतमैत्रि में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
नाम
पद
संस्था का नाम
पता
गुडर

नोट: यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप-3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/द्वैतमैत्रि में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/द्वैतमैत्रि में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान
दिनांक
पद

हस्ताक्षर
नाम
संस्था का नाम
गुडर

नोट: यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप-4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

उडरेक्ट्रेड ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/निदेशक शिक्षा उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल लेवेल की (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/द्वैतमैत्रि में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/द्वैतमैत्रि में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र डायरेक्ट्रेड ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
नाम
पद
संस्था का नाम
पता
गुडर

नोट: यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संगुस्त या उपनिदेशक डायरेक्ट्रेड ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

सचिव